

11/3/19

यह प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जमवारामगढ़ को संबोधित था। 136 QR Act के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रीति पर ही तहसीलदार को प्रेषित करने की जा रही है। दिनांक 11/4/19 को पेश हो।

सपरखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

11/4/19

पत्रावली पेश हुई। पेशकार साक्षात् 136 QR

पत्रावली पूर्वानुसार जारी किया।

दिनांक 15/4/19 को पेश हो।

सपरखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

15/4/19

पत्रावली पेश हुई। पेशकार अपरिष्कृत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/19 को पेश हो।

सपरखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

24/7/19

पत्रावली पेश हुई। पेशकार साक्षात् 136 QR पत्रावली पेश करने पर सरकार ने पत्रावली हलका की फर्द भेजी। रिफ्ट पेश की जा रही है। पेशकार साक्षात् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया कि वर्तमान में तहसील जमवारामगढ़ में सैरीवेशन का कार्य चल रहा है। सैरीवेशन के दौरान ग्राम सामेखला तहसील जमवारामगढ़ (प्रखण्ड) की वर्तमान प्रशासकीय स्वतंत्रता 2005-08 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। प्रावधानों के अंतर्गत 110 के अंतर्गत 340 में

सपरखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

फर्द अहकाम

सरकार बनाम रामकिशन

नाम न्यायालय

केस संख्या 26/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>खाते दायरे के हिस्से नहीं है। ड्रमट फिर्मा प्राप्त है। निवेदन कि हमने पत्राली का कदम किया। पत्राली हल्का की फर्द ओका रिपोर्ट पर मगन किया। राज्य सरकार की योजना DILKMP के तहत पत्राली की चार 88 के तहत पत्राली हल्का के अंतर्गत खाते दायरे के हिस्से ड्रमट फर्मा के ओके तहसीलदार प्रभारामराव को दिए जाते हैं तदनुसार शासक रिपोर्ट में काल करें। निवेदन कि ओका रिपोर्ट की प्रति तहसीलदार प्रभारामराव को पालागर्ष है। निवेदन कि पत्राली फर्मा शुभारंभ होकर जमरा के का हो बाद का तहसील इष्ट हो। निवेदन शुभारंभ शर्मा</p>	

उपरोक्त अधिकारी
 अमदारामराव (जयपुर)

